Seventeenth Loksabha

an>

16.17 hrs.

Title: Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा): महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूँ:

> "कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुन मुंडा : महोदय, मैं बाद में बोलूँगा।

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि हिमाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदायों को सम्मिलित किए जाने का उपबंध करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT) : Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity. I rise to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022. सर, इस बिल में हाती कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको एसटी की मान्यता दी जा रही है। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। इनको वर्ष 1967 से उत्तराखंड के जौनसर, बावर रीजन में आदिवासी की मान्यता दी जा रही थी, लेकिन हिमाचल में मान्यता नहीं मिल रही थी। यह बहुत खुशी की बात है कि इस समुदाय को न्याय मिलेगा।

16.19 hrs. (Shri Kodikunnil Suresh *in the Chair*)

सर, मैं कुछ पॉइंट्स कहना चाहता हूं। इस पर्टिकुलर बिल में आप अगर देखेंगे तो यह लिखा है कि इनको आदिवासी मान्यता दी जाएगी, लेकिन हाती कम्युनिटी के जो एससी लोग हैं उनको छोड़कर, when you look at the Lokur Committee rulebook, to which my esteemed colleague also pointed out sometime back, what should be a Scheduled Tribe?

A Scheduled Tribe should have: (1) spatial organisation, separateness, and excluded existence; (2) a distinctive culture, primitive traits, shyness of contact with community at large, and socioeconomic and educational backwardness. एक ही कम्युनिटी को आप बोलते हैं कि ठीक है कि लोकुर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी मान्यता दी जाएगी, लेकिन यह भी बोलते हैं कि जो लोग एससी हैं, उनको छोड़ दो।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। यह बिल क्या है, मेरी समझ से बाहर है। They are trivialising the tribals. मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मैं आदिवासी हूं। अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को देखेंगे तो लगेगा एसटी लोग अपर कास्ट हैं, एससी लोग लोअर कास्ट हैं। यह क्या सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मान्तरण की बात हुई थी, कुछ दिनों पहले मेरे पास कुछ मित्र आए थे और बोल रहे थे कि जो लोग इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्जन करेंगे तो उनका रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन अगर आदिवासी हिन्दू है, तो रिजर्वेशन कन्टीन्यू करो। मेरा एक ही सवाल है, क्या आदिवासी हिन्दू हैं? हिन्दू पहले आया कि आदिवासी पहले आये? आदिवासी का मतलब है, हम पहले निवासी हैं। ये धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि हम वनवासी हैं। मैं जंगली जरूर हो सकता हूं लेकिन वनवासी नहीं हूं। अगर आपको वनवासी और आदिवासी समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या फर्क है तो वह मैं आपको बताता हूं। मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्री राम वनवास गए थे, वे वनवासी थे, लेकिन सबरी माता

आदिवासी थीं। इसे आप समझ लीजिए, हम इस देश के मूलवासी हैं, केवल वनवासी बोलकर हमें अलग नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हम आदिवासी बनने के बाद क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार अभी क्या कर रही है, इसका मैं खुलासा आपके सामने करना चाहता हूं।

आपने ग्राम सभा की बात की, पैसे की बात की। भारतमाला प्रोजेक्ट को 25 ग्राम सभा ने गुजरात में रिजैक्ट किया, लेकिन आपने इसे पारित कर लिया। चेन्नई-अहमदाबाद-सूरत रोड को सूरत से जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आदिवासी लोग दूसरी जगह हैं इसलिए उसको वहां से घूमाकर लेकर आओ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिसप्लेसमेंट की है। Fifty million people are displaced. केवाडिया में मैं सरदार पटेल जी का स्टैचू देखने गया था, बहुत अच्छा लगा। आदिवासियों का ऐसा हो जाएगा, आपको पता है?, ये लोग क्या कर रहे हैं? बेड शीट चेंज कर रहे हैं, आपने जगह दे दी, हजारों एकड़ दे रहे हैं। 5 हजार करोड़ रुपये का भारतमाला प्रोजेक्ट शेड्यूल-5 मेरे एरिया कोरापुट से जाता है। एक भी आदिवासी को वहां नौकरी मिली, ठेकेदारी का काम मिला? किसी को नहीं मिला है, मिलता ही नहीं है। डिसप्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, मैं बताता हूं कि समस्या क्या है? अंग्रेजों के टाइम से शेड्यूल-5 एरिया है, I am from an area under the Fifth Schedule. शेड्यूल-5 एरिया में क्या होता है, आपको जगह बेचने के लिए परमिशन चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। 5 एकड़ से ज्यादा चाहिए, इसके बाद आपको परमिशन मिलती है, आप एक आदिवासी को ही बेच सकते हैं, This is a very good intervention by the Government. लेकिन इसका होता है कि हम लोगों की जगह का दाम घट जाता है। ट्रांजैक्शन नहीं है। आज सुबह गडकरी जी के साथ चर्चा हो रही थी, आंध्र प्रदेश में 60 लाख रुपये प्रति एकड़ का दाम मिल रहा है, कोरापुट में भारतमाला हाईवे प्रोजेक्ट के लिए हाईवे ने कितने पैसे दिए हैं, एक एकड़ के लिए 50 हजार रुपये दिए, आंध्र प्रदेश में उसी जगह के लिए चार गुना ज्यादा 2 लाख रुपये दिए, कोई भी जनरल जगह ले लो, एक एकड़ के लिए 1 करोड़ रुपये मिल रहा है। लेकिन हम आदिवासी 50 हजार रुपये के दाम में दे रहे हैं, क्योंकि 100 सालों से ट्रांजैक्शन नहीं है, आप ले लो।

सरकार अपनी जगह को मॉर्गेज करने के लिए नहीं आती है, बैंक मॉर्गेज करने के लिए नहीं आता है, यह मेरी जगह है। I cannot develop it. मॉर्गेज के लिए बैंक नहीं आता है, यह ठीक है कि आपने आदिवासियों की सुरक्षा के लिए सब किया है, लेकिन यह जगह सरकार क्यों ले रही है। हाईवे बनाने के लिए आपको जगह चाहिए तो आदिवासियों की जमीन के ऊपर से हाईवे ले चलो, वापस तो कुछ मिलने वाला नहीं है।

अभी कुछ दिनों पहले माइनिंग डिपार्टमेंट ने न्यूज पेपर में एक नोटिफिकेशन निकाला है कि कुछ माइनिंग ब्लॉक है, they are available for auction. बालडा बॉक्साइड का एक माइनिंग ब्लॉक है, जो पोडांगी में है, उसके ऑक्शन के लिए इनविटेशन कर रहे हैं। आपको पता है, बालडा क्या है? हम लोग पूजा करते हैं, उस जंगल और पहाड़ में हम लोग पूजा करते हैं। आप ऑक्शन करेंगे, आपने किसी से पूछा?

वहां एक फैक्ट्री बनी है, हम लोग डेवलपमेंट के विरोध में नहीं हैं, उत्कल एल्यूमिनियम, रायागड़ा जिले में एक फैक्ट्री बनी है, डिकॉलैंड और डिमूढ़ी दो छोटी-छोटी जगह हैं, 100 घर की बस्ती है, They are not willing to take that land. उसके आसपास हर जगह फैक्ट्री है, We fought against it. आरडीसी मीटिंग और हर जगह फाइट की, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। आप डिसप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। नाल्को ने हजारों एकड़ जमीन आदिवासी बच्चों की ली।

आपको पता है कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहा कि एक नौकरी देंगे। 45 साल में वह आदमी ने नौकरी ली और दो साल में उसका देहांत हो गया। उसके बाद, उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिली और उसकी जमीन भी चली गयी।

सर, ये लोग बोलते हैं पोलावरम डैम भी चाहिए। आपको पता है कि वह डैम लेंगे तो क्या होगा? हम आदिवासी लोग मारे जाएंगे। हजारों आदिवासी सबमर्ज हो जाएंगे। देश में ये सब चल रहा है।

अभी इन लोगों का जितना इंटरवेंशन चल रहा है, ये सरकार पिछले आठ सालों से कोशिश कर रही है कि कैसे बाईपास करके आएं। The Government is bringing amendments to various Acts. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। माइन्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, 1957 में भी अमेंडमेंट्स लेकर आ रहे हैं। ये कुछ नहीं है। ये कोशिश करते हैं कि कैसे पेसा एक्ट को बाईपास करें। आप केवल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं।

तेन्दू पत्ता, आपको पता है कि उस पर कितना जीएसटी है? उस पर 18 परसेंट जीएसटी है। जो तेंदू पत्ता प्लकर्स हैं, वे जंगल में जाकर तेंदू पत्ता उठाते हैं और बेचते हैं। आप उसमें 18 परसेंट जीएसटी लगा रहे हैं। यह तो शुक्र है कि छत्तीसगढ़ सरकार एक बस्ते का 4000 रुपये दे रही है, बाकी जगह तो 1200 रुपये और 800 रुपये का रेट चल रहा है। यदि आप आदिवासी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले उसे कम कीजिए।

एक और बहुत बड़ी चीज है। urbanisation of Scheduled Areas. The Fifth Schedule of the Constitution mandates laws separate from the Panchayati Raj Act and the Nagarpalika Act to administer villages and towns in tribal-dominated areas. पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट लागू किया है। इसमें बहुत सारे राज्य हैं, जिन्होंने अपने यहां इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। कुछ स्टेट्स ने किया है। लेकिन, एक बहुत बड़ी चीज रह गई है। वह अर्बन ट्राइबल एरियाज है। यदि आप शेड्यूल्ड-5 एरिया, शेड्यूल्ड-5 डिस्ट्रिक्ट्स और म्युनिसिपैलिटीज देखेंगे तो उसमें न म्युनिसिपैलिटी एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया मेसा, 2001 बिल अभी तक इनैक्टेड नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी नहीं हैं। यहां मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि साढ़े तीन साल हो गए, लेकिन कोई भी ऐसे ट्राइबल बिल में मैं एब्सेंट नहीं हुआ, भले ही हमें बोलने का मौका न मिला हो। लेकिन, मैं बार-बार यही बोलता आ रहा हूं कि यदि आप कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई ट्राइबल बिल लाना चाहते हैं तो आप यह लेकर आइए कि हम आदिवासी लोग क्या हैं? हम लोग कैसे जी रहे हैं और हमारी क्या समस्याएं हैं? आप एक बिल तमिलनाडु का और एक बिल हिमाचल प्रदेश का लेकर आते हैं। You should bring a comprehensive Bill. खत्म कर दीजिए सब कुछ। जिस-जिस को बनना है, वह बनेगा और जिसको नहीं करना है, उसको नहीं करना है। But they are trivialising the whole thing. आप इस पर्टिकुलर बिल में देखेंगे they are giving ST status to Hatti community. जो एससी हैं, उनको छोड़ दीजिए। एसटी, एससी बिल्कुल अलग-अलग हैं।

Let me tell you very categorically that the Scheduled Tribes and Scheduled Castes are very different from each other. आप इसको क्लब करके एक साथ नहीं कर सकते हैं।

इन्होंने प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप हटा दी। उसमें स्टेटमेंट था कि एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी सभी को हटा दिया और मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 लाख आदिवासी लोग पढ़ रहे हैं।

सर, मैं आपको बताता हूं कि अभी एजुकेशन में क्या हो रहा है? एजुकेशन में जितने भी छोटे-छोटे स्कूल हैं, उनको क्लब करके बंद किया जा रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट को भारत सरकार, they are giving subsidy, grants. हजारों-करोड़ रुपये की देते हैं, ताकि प्राइवेट स्कूल ही करें। The funny thing is, जिन लोगों ने नियमगिरी में वेदांता कंपनी का विरोध किया, Vedanta is sponsoring a private tribal school in some other city. वह बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। एसपी और कलैक्टर बोल रहे हैं, उनमें 100 आदिवासी बच्चे हैं। क्या ये इनडायरेक्टली नहीं घुस रहे हैं? नियमगिरी का जो आदिवासी है, will he not get affected? एजुकेशन का दायित्व किसका है। क्या यह सरकार का नहीं है? क्या वे लोग प्राइवेट स्कूल में जाकर पढ़ेंगे? यह बहुत गंभीर चीज है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। लेकिन, मैं ट्राइबल मिनिस्ट्री से आग्रह करना चाहता हूं। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर था, इलेक्टेड होने से पहले, मुझे लगा था कि कोई बड़ी बात है। कांस्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल क्या है, क्या नहीं है, क्या होगा, टू-थर्ड मेजोरिटी, अभी हम देख रहे हैं कि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। आप डिबेट को देखिए। हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं कि आदिवासी क्या है और क्या नहीं है? केवल ऐसे ही बिल पास हो रहा है। लगातार एक के बाद एक बिल पास हो रहा है। आप एक बिल लेकर आइए। हम उस पर चर्चा करेंगे।

मेरी ओडिशा के बारे में कुछ डिमांड्स हैं। निशिकांत जी ने बहुत ठीक बोला कि यदि एक आदिवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाए तो क्या आदिवासी होना बंद हो जाएगा? क्या रिजर्वेशन देने का यही मतलब है कि हम मेन स्ट्रीम में घुसें?

सर, एक झोड़िया ट्राइब है। काशीपुर में झोड़िया नहीं है, लेकिन नबरंगपुर में झोड़िया है। कालाहांडी में झोड़िया है, लेकिन काशीपुर में झोड़िया नहीं है। उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं। राज्य सरकार ने बहुत कुछ रेक्मेंडेशन्स भेजी हैं।

महोदय, मैं ओडिशा के परिप्रेक्ष्य में कुछ बोलना चाहता हूं। वर्ष 2014 में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। उसमें यह बोला गया था कि ओडिशा की जो लिस्ट है, वह लेकर आइए । उसमें कुछ एसटी कम्युनिटीज़ को ट्राइबल स्टेटस देने की बात हुई थी, जिसमें inclusion of Bhanja Puran/Tamadia/Tamudia/Tamaria/Tamuria Puran/Puran communities in the ST List, and also, inclusion of Bhagata/Bhukta/Bhogta or Bhokta; Durua; Kalanga; Nakasia; Paba; Khandayat Bhuyan; Tamudia or Tamadia; Chapua Kamar; Kandhia in the ST List.

महोदय, इसके साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण है, वह Kandha Kumbhar है, जिसको शामिल करने की बात थी। फिर Jhodia है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं । मैं कई बार इसको उठा चुका हूं। मैं कम से कम सात बार इस ट्राइब के विषय को उठा चुका हूं। Jodia, Jhodia, Jadia, Jhadia as a synonym of Jhodia Paroja and a sub-section of Paroja/Parja/Parja tribe at Sl. No. 55 of ST List of Odisha.

मैं इसके लिए भी अमेंडमेंट लाया था, लेकिन मेरा अमेंडमेंट रिजेक्ट कर दिया गया। कहा गया कि यह आउट ऑफ स्कोप है। यह तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश का बिल है, आप ओडिशा को नहीं ला सकते हैं, तो फिर इसको कहां रखेंगे? आप बताइए कि क्या करें? अगर एक एमपी होने के नाते मैं अपने इलाके की समस्या नहीं बताऊंगा, तो मैं क्या करूं? आप इसको कब लेकर आएंगे? इसके साथ ही साथ Durua, Dhurua and Dhurava should be included as phonetic variations. Dora करके एक ट्राइब है। इन सब चीजों को करना पड़ेगा।

महोदय, हम लोग वहां के मूल वासी हैं। आप पहले तो हम लोगों के जंगलों में घुसे थे, जहां-जहां माइनिंग है, बॉक्साइट्स है, आप वहीं जा रहे हैं। आप सिर्फ यह दिखाने के लिए आ रहे हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। यह नहीं होगा। मैं सिर्फ इस सरकार को ही नहीं, बल्कि हर एक सरकार से बोल रहा हूं कि जब तक ऑल राउंड डेवलेपमेंट नहीं होगा, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जल, जमीन, जंगल ये सब हमारा है। हम 75 सालों में इतने आगे नहीं पहुंचे हैं। मैं अपनी ट्राइब का पहला कंप्यूटर इंजीनियर हूं। बड़ी अजबी-सी बात है। मुझे गर्व नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है कि अभी तक यह कैसे हो रहा है।

महोदय, मैं आपसे बार-बार बोल रहा हूं कि हमें सिर्फ आरक्षण नहीं चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि हमें अधिकार चाहिए। आदिवासी समाज से जो 47 सांसद यहां चुनकर आए हैं, आप उनको यह मौका दीजिए। हम चर्चा करते हैं, इस सदन में हम आदिवसी समाज के लोग चर्चा करते हैं। हम देखेंगे कि हमें क्या चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। मैं यह बोलकर अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ओडिशा का बिल भी जल्दी लाइएगा। हम लोग इसका बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं कि कब ओडिशा का बिल आएगा। जो डिजर्विंग हैं, उनको आदिवासी की मान्यता मिल जाएगी, मैं इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सुरेश कश्यप (शिमला) : सभापति महोदय, जिला सिरमौर का जो हाटी समुदाय है, उसको जनजाति का दर्जा देने के लिए जो यह संविधान (अनूसचित जनजातियां) आदेश, (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, जिला सिरमौर मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है। लंबे समय से जो हाटी समुदाय है, उसकी यह मांग है कि इसको जनजाति का दर्जा दिया जाए। सन् 1967 में उत्तराखंड जो उस समय उत्तर प्रदेश में था, उसका जौनसार बावर का जो क्षेत्र था, जो कि इस क्षेत्र के साथ लगता है, यह जिला सिरमौर के गिरी पार्क का क्षेत्र है। उसको जनजाति का दर्जा दे दिया गया था। जबकि ये एरिया और उत्तराखंड का जौनसार बावर का जो एरिया था, वह कभी एक ही रियासत का हिस्सा हुआ करते थे।

उत्तराखंड का जौनसार बावर क्षेत्र जो जौनसारी समुदाय का था, उसको जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। हिमाचल प्रदेश का जो गिरी पार्क का क्षेत्र था, वहां की जो हाटी कम्युनिटी है, हाटी अर्थात् हाट या बाजार में यहां के लोग अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए जाते थे और अपनी जरूरत का जो रोजमर्रा का सामान था, उसको लाने के लिए दूर-दराज के क्षेत्रों में जाते थे। वह लेकर आते थे। उनको हाटी कहा जाने लगा। ये जो हाटी समुदाय था, जिसमें जिला सिरमौर की चार विधानसभा क्षेत्रों की 155 पंचायतें और 4 डेवलेपमेंट ब्लॉक्स आते हैं।

वहां के जो लोग थे, उनकी लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी कि उनको भी जौनसारी की तर्ज पर रिजर्वेशन दिया जाए। चूँकि जब रियासत काल समाप्त हुआ तो कुछ एरियाज़ उत्तराखण्ड में चले गए और कुछ एरियाज़ हिमाचल में रह गए, जिससे एक भाई उत्तराखण्ड में चला गया और दूसरा भाई हिमाचल में रह गया, जबकि दोनों के रिति-रिवाज, खान-पान तथा वेशभूषा एक समान हैं। एक भाई जनजातीय हो गया तो दूसरा भाई ऐसे ही रह गया। ऐसे समय में हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी इस मांग को लगातार सरकार के समक्ष रखा। समय-समय पर रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भी भेजी गई।

सन् 1995 में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई। वर्ष 2006 में भेजी गई। वर्ष 2017 में भेजी गई, लेकिन हर बार इसमें कोई न कोई कमी रह जाती थी। आज वर्तमान सरकार ने ट्राइबल स्टडीज़ के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करके एक सम्पूर्ण रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी और उसके उपरांत आरजेआई के द्वारा हाटी कम्युनिटी को रजिस्टर किया गया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की स्टडीज़ के बाद कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी मिली और आज यह विषय इस सदन में आया है।

मैं समझता हूँ कि लंबे समय से यह मांग चली आ रही थी। वहां के लोग जौनसार बावर क्षेत्र की तर्ज पर इसकी मांग कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि यह मुद्दा अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार के सामने है, जो कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के इस मूल मंत्र के

साथ आगे बढ़ रही है।

अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम इस सरकार ने किया है। सभी लोगों का विकास हो सके, उस दृष्टि से यह सरकार काम करते हुए, यहां के लोगों की भावनाओं को भी ध्यान में रखा गया है। इस डिमांड को पूरा करते हुए कि यहां के लोगों को जनजातीय समुदाय का दर्जा दिया जाए, उस दृष्टि से इस बिल को लाया गया है।

सभापति जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है। यहां जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और वहां के पांगी और भरमौर क्षेत्र में भी जनजातीय लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रदेशभर के अन्य जिलों में भी इनकी काफी संख्या है। प्रदेश में कुल जहां 70 लाख की पाप्युलेशन है, उसमें एसटी की पाप्युलेशन 3 लाख 92 हजार है। यह कुल जनसंख्या का लगभग 5.89 प्रतिशत है। अभी जो बिल लाया गया है, इसके बाद यहां 1 लाख 60 हजार लोगों को जनजातीय वर्ग का फायदा मिलेगा। अर्थात यह संख्या बढ़कर 5 लाख 52 हजार हो जाएगी। यह कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत के लगभग होगा।

मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति की संख्या इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे प्रदेश में लगभग 17 लाख 29 हजार है, कुल जनसंख्या का लगभग 25.19 प्रतिशत है। वहीं इस क्षेत्र में भी इनकी संख्या भारी मात्रा में है और इस बिल में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जहां जनजातीय क्षेत्र का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। वहीं जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, वे मांग कर रहे थे कि हम लोगों को अनुसूचित जाति में ही रखा जाए, मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और अपने जनजातीय मंत्रालय के मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखा है और उनको एक्सक्लूड किया गया है। उनको उसी प्रकार से अनुसूचित वर्ग में ही रखा जाएगा, ताकि रिजर्वेशन के लाभ उनको उसी प्रकार से मिलते रहें। यहां के हाटी समुदाय को जनजातीय घोषित किया गया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सभी वर्गों को इसका लाभ मिलेगा। हाटी कम्युनिटी को जनजातीय वर्ग में शामिल किया गया है और जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, उनको अनुसूचित जाति वर्ग में ही रखा गया है।

कुल मिलाकर मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हर वर्ग का ध्यान इस बिल में रखा गया है। मैं इस बिल को लाने के लिए माननीय मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहूंगा। हमारी हाटी कम्यूनिटी को जनजाति का दर्जा मिल रहा है, उसका मैं अभिनन्दन करता हूं। साथ ही माननीय मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि जब इसके लिए रूल्स फ्रेम किए जाएं, उस समय सभी जातियों की भावनाओं का ध्यान रखा जाए। उसमें चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग हैं या जिला सिरमौर में जो हमारे गुज्जर भाई हैं, हर वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखा जाए, ताकि सभी को आने वाले समय में इसका लाभ मिल सके। इतनी बात करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH) : Hon. Chairman Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022.

I rise to speak on behalf of my Party, the All India Trinamool Congress. It is a welcome Bill. The Hattee community of Himachal Pradesh will be benefited by this amendment. देर आए, दुरुस्त आए - काफी सालों से यह बिल पेंडिंग पड़ा हुआ था। सिरमौर जिले की हाटी कम्यूनिटी की यह बहुत पुरानी मांग थी कि इन लोगों को एसटी कम्यूनिटीज में इनक्लूड किया जाए। आज यह किया जा रहा है। आज हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में बोलने के लिए यहां खड़े हुए हैं। आज हम लोग देश की आज़ादी का 75वां वर्ष सेलेब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जब अंग्रेजों की बन्दूकों से लड़ने का टाइम आया था, तब बंगाल के संथाल आदिवासी लोग डरे नहीं, वे लोग डटकर खड़े रहे और अंग्रेजों को भगाने के लिए अगर पहली बार किसी ने तीर उठाया था तो वे हमारे बंगाल के संथाल आदिवासी लोग थे। इसलिए आदिवासियों को कोई कभी कमजोर न समझे, पिछड़ी हुई जातियों को कोई कमजोर न समझे, क्योंकि हम लोग नेचर से जुड़े हुए हैं। मैं एक एससी परिवार से आकर इस जगह पर खड़ी हूं। मैंने देखा है कि मेरे पिताजी ने किस तरह से संघर्ष करके हमारी दोनों बहनों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया और हमारे परिवार में हम लोग सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में पढ़े। यह गर्व की बात है। मैं चाहती हूं कि हमारे एससी, एसटी और पिछड़ी जातियों के लोग हमेशा एजुकेशन के फील्ड में हमेशा आगे बढ़-चढ़कर भाग लें और इसके लिए हमेशा सरकार को बढ़कर आगे आना पड़ेगा। आज सिरमौर जिले में जो 78 प्रतिशत लिटरेसी रेट है। वर्ष 2011 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से हिमाचल प्रदेश में 57 प्रतिशत ट्राइबल पापुलेशन है और हाटी कम्यूनिटी के लोगों की संख्या 1.6 लाख है। हिमाचल प्रदेश की हाटी कम्यूनिटी जिस ट्रांस गिरी रीजन को बिलाँग करती है, जिसके बगल से गिरी नदी बहती है, यह बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहां के जो जनजातिय लोग हैं, जो पब्लिक वहां रहती है, एग्रीकल्चर बेस्ड

प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर उनकी मेन इकोनोमी है। यह भी सोचा जाए कि अगर हम इनको इनक्लूड कर रहे हैं तो हम किस तरह से इनकी लाइवलीहुड को अपलिफ्ट कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में किसानों की क्या हालत है, इसलिए इस हिली एरिया में लोगों को हर तरह की सुविधा मिले, यह देखें। मैं इस इलाके में खुद एक बार गई थी, तब मैंने देखा कि यहां रोड्स की बहुत ज्यादा प्राब्लम है और नदी के ऊपर जो छोटे-छोटे ब्रिजेज या कल्वर्ट्स हैं, उनकी अच्छी सिचुएशन नहीं है। इसलिए वहां पर रोड कनेक्टिविटी और कम्यूनिकेशन एक बहुत बड़ी प्राब्लम है, इसे देखना चाहिए। विदेशों से काफी पर्यटक यहां आते हैं। इस रीजन में कई रिलीजियस-स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं और काफी रिलीजियस-स्पिरिचुअल ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। वहां बहुत अच्छी लेक है, रेणुका लेक है, शिवालिक फॉसिल पार्क्स है। इन चीजों पर सरकार ज्यादा ध्यान दे, ताकि टूरिज्म बूस्ट-अप हो सके।

हम लोग यहां की जनजाति को जगह दे रहे हैं, ताकि उन लोगों की भी इकोनॉमिक सिचुएशन बूस्ट अप हो सके। हमें यह देखना पड़ेगा। जब भी आज हम इण्डिया के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा ट्राइबल स्ट्राइक करता है, लेकिन साथ-साथ यह भी स्ट्राइक करता है कि ट्राइबल लोग कितनी भुखमरी और लैक ऑफ एजुकेशन से जूझ रहे हैं। इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए।

सर, गवर्नमेंट ने 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाए हैं, जिनका इसके पहले मंत्री जी ने जवाब दिया है। क्या असल में ये स्कूल्स सेट अप हुए हैं? अगर हुए हैं तो वहां पर फैकल्टी की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में यह पॉइंट आउट हुआ है कि बहुत सारे एकलव्य स्कूल्स अभी तक फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जैसे बिहार, मेघालय, जम्मू और कश्मीर आदि। हम लोग चाहते हैं कि यहां जो जनजाति के बच्चे हैं, जो सही में मेन स्रोत में आना चाहते हैं, वे आएं। मुझसे पहले कांग्रेस के स्पीकर सप्तगिरी जी ने बोला है कि वह फर्स्ट इंजीनियर ग्रेजुएट हैं। यह गर्व की बात है। लेकिन, साथ ही साथ उन्होंने अपना दुख भी जताया है। एकलव्य स्कूल्स, जो अभी तक बिहार, मेघालय, जम्मू और कश्मीर में फंक्शनल नहीं हुए हैं, यह बहुत जरूरी है कि इस चीज़ पर ध्यान आकर्षण किया जाए, ताकि इस बिल को जिस मंशा से गवर्नमेंट लेकर आई है, उसके अनुसार यहां के बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। वहां दूर-दराज तक मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी।

हम लोगों ने देखा है कि किस तरह फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत how 36,000 land titles had been distributed in 2019 and the BJP-ruled States like Bihar, Uttarakhand and Goa were the worst performers. जो भी हो, अभी बिहार नहीं है, लेकिन उस टाइम में था। According to NITI Aayog, the allocation for the welfare of SCs and STs should be proportionate to their population. लेकिन ईयर आफ्टर ईयर हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह यह बजटरी एलोकेशन रिड्यूस हो रहा है। यह गैप देखा जा रहा है कि 40 हजार करोड़ से 9 हजार करोड़ for SCs/STs as per NITI Aayog report. यह मेरी बात नहीं है। जो सेंट्रल सर्विसेज में अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, वे हर साल बढ़ती जा रही हैं। आप देखिए कि वैकेंसीज घटने के बजाय, वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। अगर हम किसी को मूल स्रोत में ला रहे हैं तो साथ-साथ यह भी सोचना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह सर्वाइव करने के लिए रखें, क्योंकि हम लोग हमेशा अच्छे से अच्छा चाहते हैं। हमें यह भी देखना पड़ेगा।

According to the Government data relating to the backlog of SC/ST vacancies, there were 8,223 vacancies for SCs and 6,951 vacancies for STs in 2016. And it has been increased to 14,363 for SCs and 12,612 for STs in 2019. अब यह सोचने वाला विषय है। हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, लेकिन जो मूल समस्या है, उसे हम लोगों को इस पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, चाहे हम इस साइड में रहें या उस साइड में रहें, क्योंकि यह देश का मामला है। वैकेंसीज जल्द से जल्द फिल अप होनी चाहिए।

The Government should approve the pending proposal for granting reservation to several other castes, the proposals for which have been sent by the States to the Ministry of Social Justice and Empower and the Ministry of Tribal Affairs.

सर, एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज हमारे बंगाल में हमारी मुख्य मंत्री ने सिदो-कान्हू-बिरसा यूनिवर्सिटी स्थापित की है, जहां पर इस कम्युनिटी की फर्स्ट लेडी पोस्ट ग्रेजुएट रमनिता शबर हैं। यह यूनिवर्सिटी हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री जी ने सेट अप की थी। इस यूनिवर्सिटी में हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स की डिमाण्ड कर रहे हैं, क्योंकि यह झारग्राम-पुरुलिया के इलाके में है। आज हम लोग फीफा वर्ल्ड कप देख रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी टीम नहीं है। हमारे ट्राइबल बेस्ड लड़की-लड़के के अंदर यह स्टैमिना है और यह पोटेंशियल है। हम लोग क्यों इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? अगर हम यूनिवर्सिटी के साथ-साथ स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखते हैं और इसके साथ-साथ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी हम इम्पोर्टेंस देते हैं तो यहां के जो आदिवासी खेल-कूद में आगे हैं, ये लोग अपने आपको देश को रेप्रेजेंट करेंगे और अपनी कम्युनिटी को रेप्रेजेंट करेंगे। यह सोचने वाली बात है। एससी/एसटी की पेंशन हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट दे रही है। इसके साथ-साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल्ड कास्ट एडवाइजरी काउंसिल सेट अप की गई है।

जो अभी तक इंडिया की किसी भी स्टेट में सेट-अप नहीं किया गया है। अगर हम लोग सही में एससी, एसटी और ओबीसी कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों को फाइनैंशियल सपोर्ट देना जरूरी है।

बंगाल में चाय बगान हैं। वर्ष 2014 से ही 'चाय' ने बहुत महत्वपूर्ण जगह ले ली है। दार्जिलिंग में 238 चाय बगान हैं। जितने भी श्रमिक चाय बगान में काम कर रहे हैं, वे झारखंड से आकर वहां पर बसे हुए हैं और काम कर रहे हैं। आज उनको प्रोविडेंट फंड नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार इस चीज पर ध्यान दें। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको स्पेशल फाइनैंशियल पैकेज मिलना चाहिए। बंगाल के चाय बगान के श्रमिक प्रोविडेंट फंड के लिए रो रहे हैं, अगर सरकार सही में यह चाहती है कि उन लोगों का अच्छा होना चाहिए तो इन चीजों पर ध्यान दें।

सभापति महोदय, यहां की रोड फैसिलिटीज और हेल्थ फैसिलिटीज को दूर-दराज ग्रामीण इलाके और हिल्ली एरियाज में भी प्रोवाइड कराना चाहिए। उन लोगों को सभी चीजों की सुविधा मिलनी चाहिए, यह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

SHRI ARVIND SAWANT (MUMBAI SOUTH) : Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on one of the finest Bills brought about by the hon. Minister.

शुरू में मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। आज ऐसे पांच-छ: बिल्स आए हैं। हर बार उठ कर बात करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं ट्राइबल फील्ड में एक सोशल वर्कर के रूप में 25-30 सालों से काम करता रहा हूं। मैं वहां जा कर उनके साथ दिवाली मनाता हूं, उनकी एजुकेशन में मदद करता हूं। मुझे ध्यान में आया कि आज जो हमारे देश में वंचित लोग है, आदिवासी लोग हैं, ये वंचित किस लिए हैं? परमपूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज हम ने उनके लिए एक दरवाजा खोला है। एक रास्ता बना देते हैं कि इस मार्ग पर चलो, लेकिन आप चुनाव को छोड़ कर उसके क्या परिणाम अपेक्षित करते हैं? हमारे सामने सिर्फ चुनाव रहता है। चुनाव छोड़ कर हम अन्य परिणाम जो अपेक्षित रहते हैं, जो हमारे संविधान के प्रमुख बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, क्या हम उन्हें पा सकते हैं या नहीं, हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आज आपने हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी के बगल में रहने वाली हाटी कम्युनिटी को ट्राइब्स में लिया है। मेलघट से एक माननीय सदस्या हैं, वहां पीने के पानी की समस्या है। वहां कोई बच्चा बीमार हुआ, तो हमारे जनप्रतिनिधि वहां गए। वहां के लोगों ने कहा कि आप यह पानी पीकर बताइए। उन्होंने कहा कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। आप यह समझ जाइए कि इतने सालों के बाद भी हम उनको पीने का पानी नहीं दे पाए हैं। मेरे कहने का मतलब है कि भाषण पर राशन नहीं मिलेगा। हम भाषण करेंगे, लेकिन राशन कैसे मिलेगा, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें उसकी व्यवस्था करनी है। ठाणे जिला में मोखाडा तहसील है। मैं वहां ज्यादा जाता हूं। जब वहां कुपोषित बालक मरें और उसके बारे में खबर आई, तो हम वहां गए। मैं नंदुरबार, जिले में गया था। वहां एक वैली है, उस वैली में कुछ आदिवासी रहते हैं, जहां सूरजर की किरणें 24 घंटों में एक बार भी नहीं आती है। अब उनका पुनर्वास भी करने की आवश्यकता है। हम जो कुछ भी उनके लिए कर रहे हैं, वे सुविधाएं वहां तक नहीं पहुंची हैं। गंगा का पानी वहां तक पहुंचना चाहिए। अगर वहां तक पानी ही नहीं पहुंचेगा, तो वे क्या करेंगे? वहां तक सुविधाएं ही नहीं पहुंची है। ये सब सिर्फ कागज पर रहते हैं। मैंने देखा है कि वहां फॉरेस्ट लैंड है। उसमें वे लोग खेती करते हैं। वहां लड़ाई है, उनको खेती नहीं करने दी जाती है। जो उपज होती है, उसे वे काट कर ले जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थापन कैसे होगा?

यह एक बड़ी समस्या है। आपने यह शुरू किया, ठीक है, आपने यह अच्छा काम किया। जैसा कि अभी अपरूपा जी कह रही थीं कि उनके पिताजी ने उनको कैसे पढ़ाया। मालन्यूट्रीशन की समस्या है। आज भी आदिवासियों के बच्चे मर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी माएँ भी मालन्यूट्रीशियस हैं। उनके कुछ गलत संस्कार हैं। उनको लगता है कि हेल्दी बच्चा होगा, तो there will be a problem in the delivery.

इस कारण से वे खुद भी अपने को कुपोषित कर लेती है, जिसके कारण बच्चा भी कुपोषित होता है। उसका परिणाम बाद में दिखता ही है। यह एक साइकिल है। इस साइकिल को कैसे दूर करेंगे, यह सबसे बड़ी समस्या है। मेरा कहना है कि do not teach the child to eat the fish but teach the child to catch the fish. हमें उनको सक्षम बनाना है, सबल करना है, न कि अपंग बनाना है। एक सुविधा मिली, एक अवसर मिला, उस अवसर का लाभ कैसे उठाएं, यह भी देखना चाहिए। यदि आर्थिक दृष्टि से उनका विकास नहीं होगा, तो उनको अवसर का लाभ नहीं मिलेगा। उनके पास उत्पादन के क्या साधन हैं? वे खेती नहीं कर सकते हैं, मनरेगा में साल में एक सौ दिन काम होगा, उनके बाकी 265 दिन कैसे बीतेंगे? हम कहेंगे कि उनको सस्ते में अनाज देते हैं, माननीय सोनिया गांधी जी जो बिल लायी थीं, उसकी वजह से उनको पाँच-पाँच किलो अनाज मिलता है, यह सब ठीक है। लेकिन श्रम की कीमत भी कम हुई है। वह सस्ते में मिलने लगा, तो एक दिन काम किया, तो हो गया, उससे

पूरे महीने का राशन मिल गया। इस तरह से श्रम की कीमत कम हुई, एजुकेशन की कीमत कम हुई। हमें उनको पढ़ाने में ज्यादा आगे करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि teach the child to catch the fish and to catch the fish, he has to study. उनको पढ़ना पड़ेगा। यदि पढ़ने के चक्कर में काम नहीं हो पाएगा। उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, आप यह बताएं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स बन गए, शेड्यूल्ड कास्ट बन गए, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज कहाँ हैं, रिजर्वेशन कहाँ मिलता है? यह सरकारी उद्यमों में, सरकारी नौकरियों में मिलता है, क्या यह प्राइवेट में मिलता है? वे कहाँ जाएंगे? हम सारी कम्पनियाँ बेच रहे हैं, पब्लिक सेक्टर्स को बेच रहे हैं। जहाँ पर उनको जॉब मिलने का एक अवसर है, वह भी निकल गया, तो क्या वे राजनीति करेंगे? यह भी तो आपको सोचना पड़ेगा।

हम स्टैंड अप और स्टार्ट अप की बात कहते हैं, आप मुम्बई शहर में जाओ, मैं 'दिशा' कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं पूछता रहता हूँ कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया। जवाब मिलता है कुछ नहीं। वे पाटन वगैरह का उदाहरण बता देते हैं, ठीक है, जहाँ मिला, तो मिला, बाकी किधर है, बाकी सारे इससे वंचित हैं। इसलिए क्या उनको स्टार्ट अप, स्टैंड अप में खड़ा कर सकते हैं या नहीं, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा।

मैं बिल का तो स्वागत करता हूँ, लेकिन अभी और भी बिल्स हैं, जैसे कर्नाटक का है। वहाँ आपने क्या किया?

हमारे यहाँ एक जाति है, जिसके कारण 'धनगर' और 'धनगड़' की लड़ाई चल रही है। वह केवल एक 'शब्द' की लड़ाई है। उसी का सिनोनिम है, उसी की तरह उच्चारण होने वाली एक दूसरी जाति है, उसको हम लोग समावेश कर रहे हैं, आप क्यों 'धनगर' को इसमें नहीं करते हैं?

हमारे यहाँ मराठा समाज ने जो लड़ाई की, उन लोगों ने शांतिपूर्ण आन्दोलन किया। ऐसा क्यों हुआ? वह समाज तो उच्चस्तर का है, लेकिन वे क्यों आन्दोलन कर रहे हैं? उसका कारण बेरोज़गारी की समस्या है। यदि इनको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो हम उनके लिए कैसे रोज़गार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, यह भी देखना है।

आप बैंकों से पूछिए, आप क्या करते हो, इनको क्या-क्या दिया है, तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं दिया। मैं अपेक्षा करता हूँ कि जैसे आप यह बिल लाए हैं, बाकी बिल्स भी हैं, मैं दोबारा हर बिल के लिए खड़ा नहीं रहूँगा।

इसलिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि Betta-Kuruba as a synonym of Kadu Kuruba. उसी तरह से, Dhangar is a synonym of Dhangad. यह क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग कर सकते हैं, तो यह काम होना चाहिए।

मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में सोचिए। क्या हम उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थोड़ी-सी जमीन दे सकते हैं? पाँच एकड़ या दो एकड़ या एक एकड़, जो भी हो। आप उनको कहें कि आप किसानी करो, खेती करो, उससे उत्पादन करके उनका जीवन चलेगा। अगर आप इन सारी चीजों को करेंगे, इस बिल को लाने में राजनीति नहीं, बल्कि यह एक सामाजिक उत्थान की बात है।

मैं एक आखिरी सुझाव देता हूँ। हर राज्य के प्रमुखों की एक मीटिंग ले लें। आप उनसे कहें कि आप अपनी एक कमेटी बनाएं और एक बार बता दें कि कितनी जातियाँ हैं। आंकड़ों की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में बहुत कम संख्या होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो कम संख्या वालों को हम क्यों वंचित रखेंगे, उनको भी लेना है, तो आप एक ही बार ले लीजिए और इसको समाप्त कीजिए। इसके बाद छत्तीसगढ़ का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, उत्तर प्रदेश का है, यदि इस तरह से एक-एक राज्य का करेंगे, उससे अच्छा होगा कि आप एक ही बार सारे राज्यों से पूछ लें ताकि इस समस्या का निराकरण मूल से हो जाए, पूर्णत: हो जाए। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए, इस बिल का समर्थन करता हूँ।

धन्यवाद । जय हिन्द।

17.00 hrs

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU) : Thank you, hon. Chairperson Sir, for giving me this opportunity. I support the Bill which seeks to include the Hattee community of Trans Giri area of Sirmour district in the list of Scheduled Tribes in Himachal Pradesh. This move will ensure that the benefits of ST reservation are extended to them, and they also progress in terms of getting Government

jobs and access to other eligible schemes. I would like to take this opportunity to raise certain issues faced by the SC/ST Communities which also need to be addressed by the Government of India.

Sir, the hon. Minister has already told about the pre-matric scholarship. I would like to highlight some issues. There is a lack of adequate pre-matric scholarships. The number of pre-matric scholarships given by the Government for reducing SC/ST students from dropping out before class 9^{th} and 10^{th} has constantly been reducing. This is a big issue. Either the Government of India is not allocating sufficient funds for disbursal as scholarships to SC/ST students or the existing funds are being under-utilized. Hence, I would suggest the Government of India to investigate this matter, allocate sufficient funds for scholarships, and wherever needed, make the process of applying for scholarships easy and simple. The pre-matric scholarship amount for Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, as per the guidelines issued by Ministry of Social Justice and Empowerment and the Ministry of Tribal Affairs, is Rs. 225 per month for day scholars and Rs. 525 for hostellers for 10 months in a year. This is very inadequate, especially when India is seeing an inflation of around 7 per cent. The scholarship amount also needs timely revision. Further, only an amount of Rs. 750 to Rs. 1000 is disbursed under this scheme for books and other necessities per year. This is also grossly inadequate and needs to be revised at least two-fold.

In order to be eligible for SC/ST students to avail benefits under the schemes extended by the Government of India, the parents' income should be less than Rs. 2.5 lakh. This amount is very less; hence, it should be raised. If a student from the Economically Weaker Section category can claim benefits if the parents' income is less than Rs. 8 lakh, why is the limit set at Rs. 2.5 lakh for SC/ST students? It is illogical.

Even the OBC category has a much higher limit of Rs. 6 lakh per annum in order to avail benefits. Hence, I urge the Government of India to increase this limit to Rs. 8 lakh per annum for the SC/ST students which is in line with what is being extended to the students under the EWS category. Also, many Group 'C' posts such as driver and cleaner are being given to outsourced staff, which has reduced Government recruitment. This recruitment under the outsourced/contractual category does not follow the rules of reservation for SCs/STs. This is against the provisions of the Constitution of India which provide for reservation. Hence, I demand that the reservation for SCs and STs needs to be mandated even for the contractual and outsourced jobs in the Government. Also, there is a need to allocate more budget to the Ministry of Social Justice and Empowerment as well as to the Ministry of Tribal Affairs. Sir, now, I come to the issues relating to my Parliamentary Constituency. In my Parliamentary Constituency, majority of the people are tribals and also, we have different languages and different cultures. In order to encourage development of tribals, the Project Approval Board of Samagra Shiksha has approved a sum of Rs. 3.686 crore for supporting mother tongue-based education in tribal areas, covering 36,811 students.

The amount is sanctioned for improving the learning outcomes of tribal children. The amount is used for translation work of tribal books, TLM, capacity building of the teachers, etc. The guidelines mention only about the funds to be spent for the above purpose. But I would like to bring to the notice of this House that there is a need to allocate funds to pay for volunteers to be engaged in translation work. The main requirement arises because, especially in our tribal culture, we have a lot of different dialects and translation is required to be done in all the dialects. The provision of engaging tribal volunteers was not approved in the PAB in the year 2021-22 under the Samagra Shiksha Scheme, and so, the issue of increasing the honorarium of volunteers did not arise.

It is requested to the Government that for supporting the *matra bhasha,* indigenous language programme, every year, Rs.4 crore is required for my district. It is requested to the Board to approve honorarium to the volunteers in this category. There are 721

volunteers. The PAB of the Samagra Shiksha, as a nodal agency, can be informed to take a decision on it.

In this regard, I would like to request the hon. Minister to allocate sufficient budget to develop the tribal students of my constituency.

We also have one issue. The main motive of PMAY-(G) has been to provide housing for all by 2022 in the rural areas. The scheme aims at providing a *pucca* house with basic amenities to all the houseless people living in *kutcha* and dilapidated houses, by 2022.

In my Parliamentary Constituency, after a survey, the village level volunteers identified the eligible beneficiaries numbering 68,431 for sanction of new houses in the surveyed area, and out of these beneficiaries, only 13,975 were covered in PMAY waitlist, and allotted 17,899 houses during the year 2021-22. The leftover beneficiaries of 46,000 are waiting for the sanction of new houses as they are living in the *kutcha,* dilapidated and tiled houses and they are not covered in the Awaas waitlist of PMAY (G) for sanction of new houses.

According to the PMAY-Awaas Plus, if any house has been given any benefit under the previous scheme, the person is not eligible. In my Parliamentary Constituency of Araku, earlier, there was a provision of giving tiles and Rs.30,000 to the tribal people for constructing houses.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

KUMARI GODDETI MADHAVI: Please give me two minutes more.

These houses were constructed 20 years earlier and they are in a very bad condition. I would like to request the Government to look into the matter and make available the benefits of the PMAY – Awaas Plus to the remaining 46,000 beneficiaries who are not able to take the benefit because they had received the benefits earlier under the Indiramma Scheme 20 years back. I also request the Government to make necessary amendment in the rules so that the poor and the deserving tribal people in my Parliamentary Constituency can avail the benefits of the PMAY-Awaas Plus, and their cases should not be rejected just because they had taken benefits 20 years back. I would request the Minister to consider all my requests. One final request is that as you all know, my constituency is a tribal constituency. Everyone is telling here about the lack of education and the need for providing good healthcare in these areas. I request the Central Government and also all the States to conduct awareness camps in all these areas. Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

KUMARI CHANDRANI MURMU (KEONJHAR): Thank you, Chairman, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Third Amendment) Bill, 2022.

Sir, Scheduled Tribes have been defined in clause (25) of article 366 of the Constitution as "such tribes or tribal communities or parts of or groups within such tribes or tribal communities as are deemed under article 342 to be Scheduled Tribes for the purposes of this Constitution." The first list of Scheduled Tribes was notified in respect of various States and Union territories vide the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.

Sir, this Bill seeks to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Himachal Pradesh. The Bill includes the Hattee Community of Trans Giri area of Sirmaur district in the list of Scheduled in Himachal Pradesh.

Sir, on behalf of my party Biju Janta Dal, I welcome this Bill. This Bill expands the possibility of inclusion of more tribes and sub-tribes under Scheduled Tribes category, which will definitely ensure their development. The tribes in India form an important part of the total population. It represents an element in Indian society which is integrated with the culture of our civilization. The tribal population of India constitutes nearly eight per cent of the total population.

There are a number of tribes in India spread over different parts at different levels of socio-economic development. It is essential to connect them with the mainstream society. Tribes in India face a lot of difficulties such as poverty, economical and technological backwardness, lack of basic education and healthcare system. Moreover, geographical isolation and illiteracy among the tribals come in the way of development of these communities. At times, tribals face discrimination and exploitation.

Sir, it is very crucial for us to recognize the fact that the tribal communities still need the constitutional status of STs, SCs and assistance under specific programmes to preserve their culture, language and upliftment of their livelihood to ensure their advancement and social justice.

Odisha being the third largest tribal populated State in the country, the Government of Odisha, with the approval of the Tribal Advisory Council, has recommended more than 160 communities of the State to the Ministry of Tribal Affairs, Government of India for their inclusion in the ST list of the State. Among these some are new entries. Some others are sub-tribes, synonyms and phonetic variations of the existing ST communities residing in different parts of the State. They are being deprived of the benefits availed by other ST communities, though they have the same tribal chrematistics as their respective notified STs.

Sir, particularly nine communities of Odisha have been recommended for inclusion in the ST list of the State on priority basis, such as – Bhokta, Durua, Kalanga, Nakasia, Paba, Khandayat Bhuyan, Tamudia, Chapua Kamar and Kandhia. But no clarity has been provided on the progress of these proposals so far. Similarly, two particularly vulnerable tribal group communities such as Chukutia Bhunjia and Paudi Bhuyan have not been included as yet in the Scheduled Tribe list.

Sir, the hon. Chief Minister of Odisha, Shri Naveen Patnaik ji through letter dated 19th February, 2021 has also suggested that a quadripartite Committee may be set up including the representatives of the Ministry of Tribal Affairs, Registrar General of India, Anthropological Survey of India and the Government of Odisha for further deliberations on the matter.

Sir, in 2014, a task force under the Ministry of Tribal Affairs had recommended nine proposals to be included in the ST list from Odisha as priority cases. But the same is yet to be decided because of delay in the Presidential Order. Therefore, I would request you to kindly look into these long pending issues and expedite the scheduling of these left out communities to deliver social justice to them in accordance with the provisions of the Constitution of India. This shall go a long way in helping these deprived communities by giving them their much-needed recognition as STs and ensure social justice.

With these words, I conclude. Thank you, Sir.

श्री गिरीश चन्द्र (नगीना): महोदय, आपने मुझे अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके साथ-साथ बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ।

समाज में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाली जातियों का विकास, उनको शिक्षा, नौकरी तथा अन्य स्थानों पर आरक्षण देकर उन जातियों का विकास करना है ताकि वे समाज में शिक्षित होकर राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। इससे पहले भी कई बार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में कुछ जातियों को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन लाया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस अनुपात में वह मूल रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से पहले जिस वर्ग में हैं, उस वर्ग से उसका उतना अनुपात घटाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति में जोड़ा जाये। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर सरकार की कार्यशैली को आपके समक्ष बतलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय विकास परिषद की 51वीं बैठक, जो 27 जून 2005 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी, यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों का समाजिक आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों में विकास करके 10 वर्ष के अन्दर ही इन वर्गों को सामान्य वर्गों के समकक्ष लाया जायेगा। इस पारित किये प्रस्ताव को लागू करने के लिए तत्कालीन नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने देश की सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास के लिए योजनाएं बनाकर 10 वर्षों के अन्दर-अन्दर सामान्य वर्गों के बराबर लाया जाये तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तत्कालीन नीति आयोग के संयुक्त सचिव द्वारा दिनांक 31.10.2005 को सरकारी आदेश सहित दिशानिर्देश जारी किये गये थे कि बजट की धनराशि से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी की सामान अनुपातिक धनराशि अनुसूचित जाति के आवंटित माइनर कोड 789 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित माइनर कोड 796 में रखी जायेगी। यह धनराशि न ही डाइवर्टेबल होगी और न ही लैप्सेबल होगी। मुझे दुख के साथ इस सदन को बतलाना पड़ रहा है कि उस नीति आयोग के आदेश को भी राज्य सरकारों ने नहीं माना, जिससे दोनों वर्गों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का विकास होना संभव नहीं हो पाया। जो धनराशि इन वर्गों के विकास के लिए आरक्षित की गई थी, उस धनराशि का उपयोग अनेक दूसरी योजनाओं में डाइवर्ट करके किया गया। साथ ही इसका जमकर दुरुपयोग भी हुआ है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल एक हजार परास्नातक छात्रों को छात्रवृत्ति देती है, जबकि इन वर्गों के छात्रों की संख्या कई हजारों में है। इसी प्रकार डॉक्टरेट करने वाले केवल दो हजार छात्रों को ही यूजीसी के माध्यम से नेशनल छात्रवृत्ति दी जाती है, जबकि डॉक्टरेट करने वाले छात्रों की संख्या लगभग 10 हजार होती है।

सरकार यह जरूर सोचे और बताये कि एक हजार परास्नातक छात्रों का चयन और डॉक्टरेट करने वाले दो हजार छात्रों का चयन किन मापदण्डों के आधार पर किया जाता है। अत: छात्र अपना चयन कराने हेतु अनैतिक कदाचार का सहारा लेते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्गों के विकास के लिए 2005 से आवंटित बजट का पूर्ण सदुपयोग न होना यह दर्शाता है कि 86 हजार करोड रूपया भारत सरकार के खजाने में अनस्पेंड पड़ा है। सरकार से मेरी मॉग है कि यदि वास्तव में वह अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का विकास धरातल पर चाहती है तो इन वर्गों के बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य के लिए पहल करें। मैं कहना चाहूँगा कि सरकार के खाते में अनस्पेंड पड़े 86 हजार करोड़ रूपये से देश के समग्र जिलों में एक-एक अम्बेडकर नवोदय विद्यालय की स्थापना हो और उस विद्यालय में संविधान सम्मत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग छात्रों के लिए 22.5 प्रतिशत सीटों का आरक्षण नौकरी की तरह ही किया जाये। इतना ही नहीं, प्रत्येक राज्य सरकारें उद्यमों और उद्योगों के विकास के लिए अलग-अलग स्थानों पर विशेष औद्योगिक एरिया का विकास करती है।

इस औद्योगिक एरिया में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए भूखंड संविधान सम्मत आरक्षण के मुताबिक आरक्षित किया जाय और इनमें उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को बिना किसी कोलेटरल गारंटी के दिया जाय, जिससे इनका आर्थिक विकास भी संभव हो सके। मुस्लिम समाज में जो गुर्जर लोग हैं, जो एसटी में आते हैं, उन्हें भी पूरे देश में, मेरी नगीना लोक सभा में भी ये लोग हैं, ये लोग जम्मू-कश्मीर और पूरे देश में बसे हैं, उनको भी इसका लाभ मिला, क्योंकि इन जातियों ने संघर्ष करके इस देश को आजाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूँ।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया) : सभापति महोदय, मैं इस अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक को एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह मानता हूं। सब प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी हैं। मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौड़ नाम की एक जाति रहती है और उसमें से कुछ सोनभद्र, मिर्जापुर, छत्तीसगढ़ के इलाके में, भदोही, प्रयोगराज में रहती हैं। वे लोग वनवासी क्षेत्रों में रहते हैं, वे अलग तरह के हैं। गौड़ जाति के लोग बलिया, गाजीपुर, बस्ती, देवरिया और गोरखपुर में रहते हैं। वह बोझा ढोने का काम करते हैं, जंगलों में लकड़ी काटने का काम करते हैं, पत्ता बटोरने का काम करते हैं। वह बड़ी बहादुर जाति है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे बलिया में बहुत से ऐसे गौड़ जाति के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में भागीदारी की थी और बड़ी बहादुरी के साथ भागीदारी की थी। गौड़ जाति के लोग भी अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, जो अभी तक पिछड़े वर्ग में थे। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी उससे सहमत है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसी छोटी-छोटी जातियों का काम के अनुसार कैसे जीवन विकास ऊपर उठ सकता है, जो परम्पराओं से जुड़े हुए लोग हैं। गौड़ जातियों के साथ कई परंपराएं जुड़ी हुई हैं। वह गांवों-गांवों में कई परंपराओं के साथ लोकनृत्य करते हैं, जिसको पूर्वी उत्तर प्रदेश में गौड़ाऊ नृत्य कहते हैं। वह शंकर विवाह, राम विवाह और लोक परंपराओं के लोकनृत्य आदि करके अपना जीवन-यापन करते हैं। वह गरीब लोग हैं, भूमिहीन लोग हैं। मैं भारत सरकार के मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार की सुविधाएं उनको जरूर मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उनके लिए सारी सुविधाएं यथासम्भव उपलब्ध भी करवाई हैं। वह सुविधाएं उन तक कैसे पहुंचे, मेरी समझ से सांसद के नेतृत्व में एक कमेटी बलिया, गजीपुर तथा हर जिले में बनाई जाए। गौड़ जाति अनुसूचित जनजाति में शामिल है, उनको सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं? हमारे पशुपति भाई जानते होंगे कि उनके जिले में भी गौड़ जातियां हैं, जो भड़भूजे का काम करती हैं। भड़भूजे के नाम पर उनको पहले अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किया गया था, वह पिछड़ी जाति में थी। मैं निवेदन करूंगा कि उनको अनूसचित जनजाति में शामिल कर लिया गया है और उनकी सारी सुविधाएं बहाल हों। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी सुविधाएं उनकी समृद्धि के लिए दी जाती हैं, वहां एक कमेटी निश्चित करके जिले स्तर पर उसकी पहुंच बनाई जाए और जिले के अधिकारी उसमें शामिल हों, क्योंकि उनकी जिले के अफसरों तक पहुंचने की कूबत नहीं है। जनप्रतिनिधि के नेतृत्व में जब तक उस तरह की व्यवस्था कायम नहीं होगी, तब तक वह उस लाभ से लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि गौड़ जातियां, जो भड़भूजा के नाम से जानी जाती थीं, अभी तक पिछड़ी जाति में थीं, उनको सारी सुविधाएं बहाल करने के लिए जिले में एक समिति बनाई जाए और सांसद उसका नेतृत्व करे तथा उन तक पहुंच बना कर उनको लाभार्थी बनाने की कृपा की जाए। मैं यही निवेदन प्रस्तुत करते हुए अपने निवेदन को पूरा करता हूं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Sir, I stand here in support of this amendment of the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to provide for inclusion of certain communities in the list of Scheduled Tribes.

सर, मैं जिस राज्य से आती हैं, वहां पाँच-सात साल से धनगर, मराठा, लिंकायत और मुस्लिम समाज आरक्षण की मांग कर रहा है। कल भी जब बिल मैं डिस्कशन हुआ था, तो उसके बारे में मैं बोलीं थीं, क्योंकि धनगर, मराठा, लिंकायत और मुस्लिम समाज के लोगों ने आंदोलन किए। आंदोलन के बाद तब के जो विपक्ष के नेता थे, उन्होंने ऐसा कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में आरक्षण दे देंगे।

मंत्री जी के आज के जवाब में ऐसा आया है कि सन् 1979 में महाराष्ट्र ने पहली बार धनगर समाज की मांग दिल्ली भेजी थी। तब मिस्टर पवार महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री थे और सन् 1981 में यह किया गया था। यह सारा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, उन्होंने वापस भेज दिया, क्योंकि उसमें टैक्निकल चीजें कुछ कम ज्यादा थीं। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे, वर्ष 2013 में उन्होंने कहा था कि अगर वर्ष 2014 में हमारी सरकार आएगी तो हम धनगर समाज को पहले ही कैबिनेट में आरक्षण दे देंगे। सर, 5 साल उनकी सरकार रही। महाराष्ट्र में हर हफ्ते कैबिनेट की बैठक होती है। अगर 5 साल से 52 का हिसाब करें तो 250 कैबिनेट बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन धनगर समाज को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद अभी भी उनकी सरकार है और कल महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के सदस्य जब बोल रहे थे, तब उनकी भी यह मांग थी कि यह किया जाए। आज महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है तो दिक्कत कहां है, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं मंत्री जी से विनती करूंगी कि धनगर समाज की जो मांग है, मराठा समाज की जो मांग है, मुस्लिम समाज की जो मांग है, कल भी हम इसी तरह के डिसकशन में बात कर रहे थे और इसी तरह के 4-5 बिल्स और हैं। अगर हिमाचल के लिए हो सकता है, तमिलनाडु के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए हो सकता है तो महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हम एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल ला सकते हैं? एक-एक कर के टुकड़े-टुकड़े में एक-एक राज्य के लिए बिल ला रहे हैं। क्यों न एक बिल

पूरे देश के लिए लाया जाए, जहां-जहां से मांग आ रही है। मंत्री महोदय ने जवाब में आज सुबह कहा कि जब महाराष्ट्र से आज सुबह प्रस्ताव आया था तब उन्होंने कमीशन के बारे में बोला था। वर्ष 2019 में जो विपक्ष के नेता थे, वे वर्ष 2014 में मुख्य मंत्री बने और आज वे महाराष्ट्र में उप-मुख्य मंत्री हैं। उन्होंने एक कमीशन बिठाया था, जिसने धनगर समाज की रिक्वॉयरमेंट को रिजैक्ट किया? मैंने रिपोर्ट देखी नहीं है, लेकिन अखबार में पढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर इतना बड़ा समाज मांग कर रहा है तब आपने ऐसा कौन सा सर्वे करवाया है, किसको आपने जिम्मेदारी दी, जिन्होंने यह मांग रिजैक्ट कर दी? मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जो-जो मांग आएगी, मैं उस राज्य से बात करूंगा।

इसलिए मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि आप कृपया महाराष्ट्र राज्य से बात करें और धनगर समाज का जो प्रपोज़ल सन् 1979 में भेजा गया था, वह सन् 1981 में क्यों वापस गया? उसके बाद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी, मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको बता रही हूं। जो कमिटमेंट था, उसका क्या हुआ? उसके बाद वह जो कमिशन बिठाया गया, उसका रिजैक्शन क्यों आया? क्योंकि इन्होंने किसको दिया कि इतना बड़ा अन्याय, इतने बड़े समाज के साथ किया गया, जो न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है, हम सभी उसमें साथ हैं। हरेक पार्टी उसमें साथ है, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या शिवसेना हो, सबकी मांग एक है। अगर एक आवाज़ में महाराष्ट्र के सारे पक्ष यह कह रहे हैं कि धनगर समाज को आरक्षण देना चाहिए तो दिक्कत क्या है? आपके पास तो 303 सांसद हैं, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में अभी ईडी सरकार है, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र सरकार है। ऐसा वे खुद कहते हैं, मैं उनको ईडी सरकार नहीं कहती हूँ। अगर ईडी सरकार ने कहा है कि यह आरक्षण देना है तो उसकी क्रोनोलॉजी देख कर आप सबको सोचना चाहिए।

सर, मेरी दोस्त माधवी, चंद्राणी मुर्मु और अपरूपा पोद्दार ने जो-जो ट्राइबल्स के इश्यूज़ रेज़ किए हैं, मंत्री जी ने भी जवाब में एकलव्य स्कूल के बारे में कहा है कि स्कूल बड़े बनवाए गए हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्या है? स्कूल सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता है। उसमें बच्चों को कैसी शिक्षा मिलती है, उससे होता है। राइट टू एजुकेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन का विषय हमारा है तो क्यों न इन सारे बच्चों को इंटिग्रेट करें? क्यों ऐसा किया जाना चाहिए कि एक समाज के बच्चे एक ही स्कूल में जाएं? राइट टू एजुकेशन में प्रावधान किया गया है तो क्यों न ये सारे जो बच्चे हैं, उनकी जो स्कॉलरशिप्स हैं, उससे ज्यादा शायद पैसा बढ़ा कर दिया जाए। सदस्यों ने नीति आयोग के बारे में जो पहले बोला है, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, क्योंकि अपरूपा पोद्दार जी ने सब कहा है कि नीति आयोग कुछ कह रहा है और सरकार कुछ कह रही है। नीति आयोग कह रहा है क इस विभाग का बजट कम हो रहा है, लेकिन मंत्री जी आज के उत्तर में कह रहे थे कि बजट बढ़ा है। नीति आयोग सच कह रहा है या मंत्री जी सच कह रहे हैं, इस बारे में उनको क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। ट्राइबल्स को मदद की जरूरत है। अरविंद सावंत जी जो कह रहे थे, हमारे यहां भी महाराष्ट्र में नंदूरबार हो, पालघर हो, मेलघाट हो, उनके प्रश्न अलग हैं। ये जो ट्राइबल्स हैं, उनकी महिलाओं के प्रश्न अलग हैं। उनमें एनीमिया का नंबर ज्यादा है, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र में सारी डिलिवरीज़ इंस्टिट्यूशनलाइज्ड हैं, लेकिन देश में सब जगह इंस्टिट्यूशनलाइज्ड नहीं है तो क्यों न एक इंटिग्रेटिड प्रोग्राम इनके लिए बनाया जाए? यह टोकनज्मि नहीं है कि नाम बदल दिया, उनको एसएसी या एसटी की लिस्ट में डाल दिया, इतने से नहीं होगा सर।

We have to make a huge social impact of genuinely being good to them, and only providing Budget is not enough. We will have to have an inclusive larger programme.

I appreciate what the Minister was saying. He was very open and honest about what has happened in my State, but it would have been nice if in his reply he had stated about making a comprehensive goal, like 'five years from now we will make sure that 'X' amount of people in the tribal areas are all educated; all their women get equal rights; we will make sure that all their children are completely out of malnutrition; all the women are out of anaemia'. These are the larger targets.

We cannot just look at tribals in a small way, and I do not think that charity is what they are looking for. They are looking for fair inclusion / rights on merit, and I think that this world is working towards merit. Why can they not also get things? I am saying this because they are citizens of this country and I think that we all owe it to them.

So, I take this opportunity again to request the hon. Minister कि 303 सदस्यों की यहां आपकी इतनी बड़ी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, तो मराठा समाज, धनगड़ समाज, लिंगायत और मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने के बारे में जरूर सोचें। यह आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है। यह आठ सालों से पेन्डिंग पड़ा है। प्लीज़, उसे पूरा करें ।

डॉ. एस. टी. हसन (मुरादाबाद) : सर, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

सर, एस.सी./एस.टी. के लिए हम पिछले दस-बीस सालों से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि इनका उत्थान हो, इनकी वे-ऑफ-लिविंग ऊपर हो, लेकिन ज़मीनी हक़ीकतें क्या हैं, वह मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं। यहां से हम कानून बनाकर भेजते हैं, बेनिफिट्स भेजते हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा कि 86,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लेकिन, फील्ड में क्या होता है?

मेरी कंस्टीट्युएन्सी में धनगड़ समाज है। यह समाज जेनरेशन से वहां रहते चले आ रहे हैं। इनके बाप के भी सर्टिफिकेट्स बने हुए हैं, इनके दादा के सर्टिफिकेट्स भी बने हुए हैं, लेकिन जब बेटा जाता है तो उसका सर्टिफिकेट बनाने से मना कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इस समाज के नहीं हैं। यहां पर कोई धनगड़ समाज नहीं रहता है – ऐसा ऑफिशियली लिख कर दे दिया गया। हम यहां बिल पास करते रहें और बेनिफिट्स के काम करते रहें, लेकिन अगर वे वहां तक पहुंचेगे ही नहीं तो फिर इसका क्या फायदा होगा?

सर, मैं आपके जरिए सरकार से कहना चाहता हूं कि गुर्जर समाज, जिसमें मुस्लिम-हिन्दू सब हैं। यह वह समाज है, जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया। इन्होंने गोरिल्ला वॉर की थी। ये जंगलों में रहते हैं और आज भी रहते हैं। ये अंग्रेजों से लड़ते थे, उन्हें मारते थे और फिर जंगलों के अन्दर चले जाते थे। मुस्लिम समाज को भी इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था, लेकिन मुस्लिम समाज को बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसके लिए एक क्रिस्टल क्लियर आदेश सरकार की तरफ से अधिकारियों को जाना चाहिए। मुझे माफ कीजिएगा, जो अधिकारी हैं, वे अभी भी वही पुराने मनुवादी सोच के हैं। ऐसे बहुत-से हैं। वे आदेशों का पालन नहीं करते हैं। अगर आदेश क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो फिर वह कोर्ट में भी चैलेंज नहीं हो सकता है। मेरी यह रिक्वेस्ट है कि मुस्लिम समाज के गुर्जरों को भी एस.टी. का बेनिफिट मिले और धनगड़ समाज को जिस तरह से डिप्राइव्ड किया जा रहा है, उसको भी रोका जाए और उन्हें हक़ मिलना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी मंत्री जी से यही रिक्वैस्ट है।

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (भोपाल): सभापति जी, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (तीसरा संशोधन), 2022 पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, दीनदयाल जी की अंत्योदय योजना का क्रियान्वयन उच्च विचारों के साथ होता है। हमारी सरकार इसको मुख्य रूप से लेती है। दीनदयाल योजना के अन्तर्गत पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है, जो कहीं से भी पीड़ित है, वंचित है, शोषित है, गरीब है, किसी भी प्रकार से उसे योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, विकास करने का अवसर नहीं मिल रहा है तो उन्हें यह अवसर प्रदान किया जाता है। हमारी सरकार में इस बात पर ध्यान दिया जाता है। इसी के अन्तर्गत जो हमारा आदिवासी क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र और इन पर जिस प्रकार से अनुसूचित जाति और जनजाति पर विशेष तौर से ध्यान दिया जा रहा है, इसी तरह उनके लिए भी हम एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं और वह महत्वपूर्ण कदम यह है कि हम उनके लिए चिंतित हैं। हम उनके विकास के लिए अपनी बात कहते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में कहीं किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो हम सांसद लोग इस विषय को उठाते हैं।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हम सब अपने-अपने क्षेत्र की बात करते हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, वनवासी क्षेत्र में रहने वाले समस्त जातियों की बात करते हैं। आज यह संशोधन लाया गया है। इस तृतीय संशोधन में हम उनको सम्मिलित करने की बात कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ही मैं अपने क्षेत्र का एक विषय कहना चाहती हूँ। भोपाल, सीहोर और रायसेन का हमारा जो रजक/धोबी समाज है, उसको सम्मिलित करने के लिए कहती हूँ। उनको17 प्रदेशों में सम्मिलित किया गया है। यह पिछड़े वर्ग में थे। अभी इनको अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया गया है। परंतु, मध्य प्रदेश में सिर्फ तीन जिले हैं, उन तीन जिलों के अलावा पूरे मध्य प्रेदश में वह पिछड़े वर्ग में आते हैं। इसीलिए, उनकी समस्या खड़ी होती है। जो अनुसूचित जाति में आते हैं, वे कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो पिछड़े वर्ग में माने जाने हैं, कहीं और जाते हैं तो अनुसूचित जाति में माने जाते हैं। इससे उनका विकास कहीं न कहीं एक तरह से असंतुलित हो रहा है। इसलिए, पूरे मध्य प्रदेश में रजक/धोबी समाज को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जाए। यह मेरा आग्रह है।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगी कि कहीं भी उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनके विकास, उनकी उन्नति और सब प्रकार से उनके विकास को देखते हुए, उनको आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर प्रयास करते हैं। हम किसी विशेष जाति के बंधन में नहीं बंधे हैं। जैसे हमारे बंधू मनुवादी के बारे में कह रहे थे। ये मनुवादी लोग कौन है? वह इसे स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करें। एक तरफ वह गुर्जर मुस्लिम के बारे में कह रहे हैं और दूसरी तरफ मनुवादी कह रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? हम किसी जाति के बंधन में नहीं हैं। मैं कहती हूँ कि मेरी परिभाषा विस्तृत है। हमारी 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिभाषा है। हम 'वसुधैव कुटुम्बकम' की परिभाषा को मानते हुए, विश्व को अपना परिवार मानते हैं और उनके निरोगी होने की कामना करते हैं। हमारे भारत में यह भेद नहीं है।

हम इस बात को कहते हैं। मैं इस बात को प्रमाणित करती हूँ कि हम जैसे साधू-संन्यासी कहीं भी जाते हैं, वे आदिवासी-वनवासी क्षेत्रों में जाकर कॉलेज खोलते हैं, हम हॉस्पिटल खोलते हैं, हम सेवा में रत रहते हैं।

महोदय, आप इस बात का भी ज्ञान लीजिए कि उनके पास हमारी योजनाएं पहुंचने में रोड़ा कौन बन रहा है? आज इस रोड़े पर ध्यान दिया जाए। अगर इनको देखा जाए तो ऐसे ही लोग रोड़े बने हुए हैं और उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंचने दे रहे हैं। हम उस विषय की बात करते हैं, जो सब के विकास को लेकर चलते हैं, कोई पिछड़ा नहीं रहे, कोई भी किसी प्रकार से वंचित न रहे। सब को बढ़ने का अवसर मिले, सबको पढ़ने का अवसर मिले ।

महोदय, मैं सिर्फ इतना कह कर अपनी बात समाप्त करती हूं?

जो पिछड़े हैं, उन्हें मिलाएं

जो बिछड़े हैं, उन्हें बढ़ाएं

जो नहीं हुआ, वो शुरू कराएं

भारत को विश्व गुरु बनाएं

भारत माता की जय !

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूँगा कि आज संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश तीसरा संशोधन विधेयक, 2022 पर चर्चा हो रही है और उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

महोदय, आरक्षण संविधान प्रदत हक है और आरक्षण उन तमाम वंचित वर्ग को मिले, जो उसके हकदार हैं। आरक्षण का वास्तविक लाभ आरक्षण के हकदारों को मिल रहा है अथवा नहीं, इस विषय पर सरकार और सदन को गंभीरता से सोचने की जरुरत है। मेरे से पूर्व विद्वान सांसदों ने पूरी बात को यहाँ पर रखा है।

सभापति महोदय, आजादी का जो आंदोलन हुआ, उसके अंदर जनजाति वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। मेरे राजस्थान के अंदर, 17 नवंबर, 1913 को राजस्थान और गुजरात की जहाँ सीमा लगती है, वहाँ पर बांसवाड़ा के मानगढ़ में, जालियांवाला बाग की जो घटना हुई थी, उससे भी बड़ी घटना हुई थी। वहाँ 1500 आदिवासियों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। देश के आदिवासी भाइयों का वहाँ पर बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। उस शहादत से देश को प्रेरणा मिलती है। विगत दिनों प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे। उन्होंने आदिवासी और सर्व समाज की माँग को पूरा करने की बात की। वे लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिले। गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था।

महोदय, मैं पुन: इस माँग को दोहराऊंगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और उनसे बड़ी उम्मीद थी। आज पूरा देश उम्मीद की नजर से इस बात को देख रहा है।

सभापति महोदय, आधी से ज्यादा आदिवासियों की सीटें पूरे देश के अंदर हर महकमे के अंदर खाली हैं। जो बजट एसटी को आबंटित होता है, वह यूटिलाइज नहीं होता है। 90 हजार करोड़ रुपये का बजट पिछले बीस सालों के अंदर लैप्स हो गया। ... (व्यवधान) कांग्रेस है ही कहां? यहां कोई है ही नहीं, सभी सीटें खाली हैं। ... (व्यवधान) आप अकेले हैं, इधर आ जाइए। उधर क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

महोदय, ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के लोगों को न्यायपालिका में उनका हक मिले। केंद्र में ओबीसी से वंचित वर्गों को उनका हक मिले। इसको लेकर मैंने कल सदन के अंदर मांग उठाई थी। आरक्षण को लेकर देश के अंदर बड़े-बड़े आंदोलन हुए। आरक्षण आंदोलनों का दंश देश की जनता ने झेला। इसके अंदर बहुत से समाजों के नौजवान शहीद हुए। आरक्षण के जो बड़े आंदोलन हुए, उसमें राजस्थान में गुर्जर समाज के भाइयों ने आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन किया। तत्कालीन जो बीजेपी सरकार थी, उसने अधिकार के लिए लड़ रहे गुर्जर भाइयों पर गोलियां बरसाईं। उसमें 72 गुर्जर शहीद हुए। वहीं हरियाणा में जाट समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर बड़ा आंदोलन किया।

गुजरात में पाटीदार समाज, आंध्र प्रदेश में कापु समुदाय, महाराष्ट्र में मराठा और लिंगायत आंदोलन हुए। यह बात मैं सदन में इसलिए बोल रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में जो हक देश के गरीब, वंचित और शोषित तबके को दिया, उसे पाने के लिए उन समुदायों को आजादी के दशकों के बाद भी सरकारों से लड़ाई लड़नी पड़ी। सरकार को संविधान की मूल भावना को समझने की जरूरत है। प्रधान मंत्री जी को इन्होंने सत्ता में बैठाया है। नौजवान, किसान, आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी सबने उन्हें वोट दिया, तब आप दो बार ताकतवर बनकर उभरे। पिछली बार आप एनडीए के सहारे बने। इस बार एनडीए के सहारे ज्यादा सीटें लीं और एनडीए के कई दलों को आपने भेज भी दिया। हम भी उसके अंदर से चले गए।... (व्यवधान) हमारी वजह से आपको भी कई सीटों पर फायदा हुआ था।

मेरा एससी, एसटी और ओबीसी की नौकरियों के संबंध में निवेदन है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के आरक्षित आधे से अधिक पद खाली पड़े हैं। यही स्थिति केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी है, जो स्वायत्त संस्थान हैं, जहां केंद्र सरकार के भर्ती नियम लागू होते हैं। वर्ष 2021 के अंत में सरकार ने स्वीकार किया कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में लगभग आधे आरक्षित पद खाली पड़े थे। संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने कहा कि 45 केंद्रीय विश्विविद्यालयों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 5,737 पदों में से 2,389 पद खाली हैं। एसटी के लिए संबंधित आंकड़े क्रमश: 3,097 और 1,199 और ओबीसी के लिए 7,815 और 4,251 हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वद्यिालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 380 पदों में से 157, एसटी के लिए आरक्षित 180 में से 88 और ओबीसी के लिए आरक्षित 346 में से 231 पद रिक्त हैं। ये आंकड़े आरक्षण के मानदंडों का मजाक उड़ाते हुए अत्यधिक उपेक्षा को दर्शाते हैं। ... (व्यवधान) थोड़े समय पहले विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति की 112वीं रिपोर्ट जारी हुई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि समस्या न केवल केंद्र सरकार के विभागों में आरक्षित पदों पर नियुक्तियों में भारी बैकलॉग है, बल्कि इन पदों को भरने के लिए सरकार की उदासीनता भी है। सरकार के पास खाली आरक्षित पदों पर नजर रखने के लिए कोई एजेंसी या तंत्र नहीं है। रिपोर्ट के मुबाबिक गृह मंत्रालय में भी आरक्षित पदों पर नियुक्तियों का बैकलॉग है। मंत्रालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 6,393 पदों में से केवल 1,108 पद भरे गए हैं। इसी तरह, एसटी के लिए आरक्षित 3,524 पदों में से केवल 466 पद भरे हुए हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित 6,610 पदों में से केवल 717 पद भरे गए हैं।... (व्यवधान) यह तब हो रहा है जब सरकार दावा करती है कि "सबका साथ, सबका विकास" उसका आदर्श वाक्य है। यदि आरक्षित पद अभी भी खाली पड़े हैं, तो यह सरकार की ओर से इच्छाशक्ति की कमी को दर्शाता है। इसलिए मेरी मांग है कि केंद्र सरकार बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग को उनके संविधान प्रदत्त हक प्रदान करने में गंभीरता दिखाए। राजस्थान के अंदर एससी, एसटी और ओबीसी के नौजवान भाइयों पर जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, वे कम कैसे हों? आप इसके लिए कुछ करिए। धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : सभापति महोदय, संवैधानिक शेड्यूल्ड ट्राइब्स थर्ड अमेंडमेंट बिल, 2022 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद । हम यह बिल ला रहे हैं और थर्ड अमेंडमेंट कर रहे हैं । दूसरी जातियों की मांग बहुत सालों से थी, ये एसटी में थे, उनको फिर से एसटी में लाकर न्याय देने का काम हमारी मंडिमंडल कर रही है, उसके लिए मैं मंत्री जी को दिल से बहुत धन्यवाद करती हूं । शेड्यूल ट्राइब्स के जितने भी कलीग यहां बोले, सभी ने अपने-अपने क्षेत्र या राज्यों के ट्राइब्स क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों की समस्याओं के बारे में बताया । हम भी जहां से आते हैं, मेरे क्षेत्र के एक विधान सभा क्षेत्र में शेड्यूल्ड भाई-बहन रहते हैं । पिछले कई वर्षों से वहां बहुत सारी समस्याएं हैं । मनरेगा का भी उल्लेख किया गया । मनरेगा में क्या काम हुआ है, उनके हाथ बांध दिए गए । उसको कमजोर बनाया गया है । अगर पूरे विदर्भ में सबसे ज्यादा मनरेगा में कहीं काम हुआ है तो मेरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया में हुआ है, एक-एक महीने में शेड्यूल ट्राइब एरिया में रहने वाले लोग वहां पर काम करते हैं, उनको मिनिमम 100 डेज का काम

दिया गया है । मैं मंत्रिमंडल और सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी कि उन्हें साल में मिनिमम 200-250 डेज काम देना चाहिए । वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालन्यूट्रिशन और स्किल सेल है । वहां पर जो लोग रहते हैं, उनको इन सब चीजों की बड़ी समस्या है । वहां हॉस्पिटल की कहीं कोई सुविधा नहीं है, उस सुविधा को देना बहुत जरूरी है । जब गर्भवती डिलीवरी करती हैं या कोई इमर्जेंसी केस होता है तो 150 किलोमीटर अमरावती जाना पड़ता है । अगर बीच में कोई दुर्घटना हो जाती है, कई बार माता और बच्चे की डेथ हो जाती है । ऐसी जगहों पर उन्हें हॉस्पिटल की फेसिलिटी देना बहुत जरूरी है ।

आज भी मेरे क्षेत्र में मैक्सिमम जगह पर ट्राइबल एरियाज में कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, इंटरनेट काम नहीं करता है, अगर 108 पर फोन करेंगे तो एमपी में लग जाता है, ये सब समस्याएं हैं । एजुकेशन की प्रॉब्लम है, चाहे चन्द्रपुर हो या अमरावती में मेलघाट का क्षेत्र हो, जहां-जहां ट्राइबल एरियाज हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में भाषा की भी प्रॉब्लम है । जब वहां पर टीचर्स आते हैं तो ज्यादातर नॉन आदिवासी होते हैं, उनको हमारी भाषा नहीं आती है । हमारे बच्चे उनकी भाषा नहीं समझते हैं, वे हमारी भाषा नहीं समझते हैं । हमारे बच्चों को अगर जॉब का अवसर देना है, डेढ़ सौ किलोमीटर प्लेन से आदिवासी क्षेत्र में जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं, उनको बहुत कष्ट करना होता है । हमारे आदिवासी बच्चे बीईडी, डीईडी किए हुए हैं, अगर उस क्षेत्र में उनको ही अवसर दिया जाए तो वहां के बच्चों को न भाषा की समस्या होगी न एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, वे अच्छी तरह से पढ़ा सकते हैं, उन्हें राइट देने का काम पंत प्रधान प्राइम मिनिस्टर जी कर रहे हैं । राइट देने का काम हम लोग कर सकते हैं, छोटे-छोटे इश्यू हैं, कास्ट सर्टिफिकेट का इश्यू है । हम समर्थन करने के लिए खड़े हैं । आदिवासियों की प्रॉब्लम है, आदिवासी को समाज में लाकर न्याय देने का काम कर रहे हैं, लेकिन वे सुविधाओं से वंचित हैं । उनकी बात यहां पर रखना हमारा कर्तव्य है । मुझे लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो इश्यू है, उन्हें उतनी दूर से आकर डीएम से मिलने में चप्पलें घिस जाती हैं, तब भी उनको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलती है । अगर हम छोटी-छोटी प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे तो आदिवासी भाई-बहनों को बहुत न्याय दे पाएंगे ।

मंत्री महोदय जी यहां बैठे हैं, जब हम पुनर्वासन की बात करते हैं । पहले तो आदिवासी लोग जंगल छोड़ कर बाहर आने के लिए तैयार नहीं हैं । अगर वे जंगल छोड़ प्लेन एरिया में आते हैं तो उनको घर छोड़ने का जो मुआवजा देते हैं, वह दस लाख रुपये देते हैं । शहर में 10 लाख रुपये में आज कहीं पर भी रहना बहुत मुश्किल है ।

उसके पुनर्वसन के लिए जो राशि होती है, उसको डबल या ट्रिपल करके उन्हें उस चीज की भी सुविधा देनी चाहिए । तब जाकर वे अपना घर, अपना जंगल, अपना प्यार छोड़कर शहरों में आएंगे । हमें इस बारे में भी सोचना चाहिए । मेडिकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हैं । मैंने उसके बारे में आपको बता दिया है । ... (व्यवधान) एक मिनट दे दीजिए ।

कुछ किसानों के मुद्दे हैं, जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, वहां पर जितनी भी जगहें होती हैं वे फॉरेस्ट एरिया में आती हैं । उनको वह जगह फॉरेस्ट द्वारा दी गई है कि वे वहां पर अपना बसर करें । फॉरेस्ट विभाग द्वारा ही उनको खेती करने के लिए जगह दी जाती है । लेकिन उन खेतों पर वाइल्ड एनिमल का इतना प्रभाव रहता है कि बुआई करने के बाद भी उनके हाथ में वह चीज नहीं आती है क्योंकि सारी चीजें वाइल्ड एनिमल खा जाते हैं ।

मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों का भी निपटारा करना चाहिए । मंत्रिमंडल ट्राइब को लेकर जो भी बिल लाती है, हम उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना ही चाहिए । उन्हें ग्रोथ देने के लिए, पिछले आठ वर्षों में प्राइम मिनिस्टर के मंत्रिमंडल द्वारा और प्राइम मिनिस्टर द्वारा जितना दिया जा सकता था, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा आप लोग दे रहे हैं ।

लेकिन, कुछ छोटे-छोटे इश्यूज हैं । अगर उसके लिए भी आपने सपोर्ट दे दिया तो हमारे आदिवासी भाई-बहनों की बहुत ज्यादा हेल्प होगी । मंत्रिमंडल ने 4-जी के लिए पहले भी मेरे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ दिया है । यदि कनेक्टिविटी के लिए कुछ सोर्स करेंगे तो मुझे लगता है उनको बहुत जल्द कनेक्टिविटी मिल जाएगी । मैं इस बिल का सपोर्ट करता हूं ।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, those who have spoken yesterday, should not repeat the same points today.

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): Thank you very much, Sir. History is witness to the contribution and sacrifices of the tribal communities to our nation building. But it is also a fact that tribal communities are still deprived of equality and justice on several

aspects.

Since 2014, several efforts have been taken under the vision of our hon. Prime Minister Shri Narendra Modi *ji* to ensure the upliftment of tribal communities across our nation. Thanks to our NDA Government, we now have the pride and privilege of having hon. Shrimati Draupadi Murmu *ji,* the first member of a tribal community to ever represent the highest Office of the President of India. I wish to submit a key representation for the consideration of the Government, that is with regard to the demand for reservation for Dalits and Adivasis in the private sector. As per the 2011 Census, the population of the Scheduled Castes was 16.6 per cent and the Scheduled Tribes was 8.6 per cent in the 121 crore Indian population. Together, they form a quarter of the total population of our nation. However, a total of only 1,27,973 persons from SC/ST community were given employment as a part of affirmative action by apex industry Associations namely CII, FICCI and ASSOCHAM as on 30th September, 2018. In the light of the words of our hon. Prime Minister back in 2015, and I quote “India will prosper when our tribal communities prosper”, it is my humble submission that the Government should consider reservation to SC/ST communities in all private sector jobs to help in furthering their prosperity.

Reservation in private sector can be given by an executive order as clarified in OMs of the Government. However, to give constitutional sanctity, I request the hon. Minister, through you, to propose a suitable amendment or legislation in this regard. Also, I would like to request the hon. Minister to consider the setting up of a Tribal Museum in Tamil Nadu.

While concluding my speech, I express my confidence that this Bill will help the Hattee community to prosper further in their enclaves.

Thank you very much.

SHRI INDRA HANG SUBBA (SIKKIM): Thank you, Chairperson, Sir. I stand to support this Bill on behalf of Sikkim Krantikari Morcha party. I am a lone Member from Sikkim. I would like to bring to the notice of the hon. Minister that even in Sikkim – just like the communities who have been recently included in the list of Scheduled Tribes – 12 communities are yet to get listed in the list of Scheduled Tribes.

17.54 hrs. (Hon. Speaker *in the Chair*)

When Sikkim was merged in the Union of India in 1975, out of three major communities, two major communities, Bhutia and Lepcha, were included as Scheduled Tribes in 1978 itself. Later on, in 2003, both Limboo and Tamang communities were included in the list of Scheduled Tribes. However, there are still 12 communities who share a similar kind of tribal trait with the rest of the tribal communities in Sikkim. They have been demanding, and the Government of Sikkim, time and again, has been apprising the Government of India about this issue. These 12 communities are yet to get their share as Scheduled Tribes in the Constitution of India. So, I would like to request the hon. Minister that this issue must be addressed to bring justice to those who have been left out after the merger of our State.

Sikkim is a small State. We do not have a large population. All the communities living there share similar socio-economic conditions. I would also like to bring to the notice of the House that just to enlist a particular community in the List of Scheduled Tribes in the Constitution of India does not mean giving justice in terms of the socio-economic condition of a community. It is also important that the identity of these communities is taken into account. Policies must be framed to protect their identity as far as possible.

In various parts of the country which have the Scheduled Tribe population, specifically in Sikkim, a number of languages are being spoken by different tribal communities. The Government of India must have a policy to preserve and develop these languages. They should promote these languages in the regional universities. These languages should be developed for the future generations. Gradually, tribal languages and dialects are becoming endangered. Along with the socio-economic development of the Scheduled Tribe communities, their oral history, language, and dialect must also be protected.

On behalf of the Sikkim Krantikari Morcha Party, I support this Bill. Thank you very much.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हाटी समुदाय को एसटी कम्युनिटी में शामिल करने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं आपके समक्ष पंजाब केसरी (हिमाचल प्रदेश) की एक न्यूज रखना चाहता हूं। राजगढ़ में गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति की एक रैली थी। उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम दिया था। उसमें लिखा था कि गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा सोमवार को नेहरू मैदान (राजगढ़) में एक महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें प्रदेश भर के 12 संगठनों के अनुसूचित जाति के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे। बैठक में वक्ताओं ने गिरिपार क्षेत्र में हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिए जाने के विरोध में हाटियों को काल्पनिक करार देते हुए यह कहा है कि प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा गलत रिपोर्ट देकर प्रभावशाली लोगों को जनजाति घोषित करने की साजिश की जा रही है। जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को अनुसूचित जाति/जनजातीय नियम/अधिनियम और पंचायतों में आरक्षण के अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में हाटी समुदाय बन जाने से अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति निर्बल वर्ग को मिलने वाला आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक्चुअली सच्चाई क्या है? इससे पहले इन लोगों ने मेरे पास आकर यह कहा था, एक्चुअली जो हाटी कम्युनिटी है, वह काल्पनिक कम्युनिटी है। जो पहले हाटी थे, उनको दर्जा दे दिया गया था। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में नायक और ओझा को गोंड समुदाय के साथ लिस्ट में लाया गया है। वहां के लोग बोलते हैं कि ये लोग ब्राह्मण जाति के हैं। मुझे मंत्री जी से यह पूछना है कि अगर ये लोग ब्राह्मण हैं, तो हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोगों को यही डर है कि सरकार हमारे अधिकार को समाप्त कर रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अगर सरकार हमारे ऊपर बुलडोजर चलाएगी, तो हम क्या करेंगे?

18.00hrs.

आज की डेट में सारे देश में, मैं जिस-जिस भी स्टेट में गया, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, छत्तीसगढ़ हो या ओडिशा हो, वहां वे लोग मुझसे यही पूछते हैं कि हमारे जो अधिकार हैं, क्या उनको खत्म कर दिया जाएगा? इस सरकार ने यह अच्छा कदम उठाया है, लेकिन आने वाले समय में अगर कोई भी नई जाति, चाहे वह आदिवासी जनजाति में शामिल होने के लिए आए या अनुसूचित जाति में शामिल होने के लिए आए, उसे हमें आरक्षण में लाना चाहिए और उसके लिए अलग से बजटरी प्रोविजन भी लाना चाहिए। असम में दो तरह के ट्राइब्स क्षेत्र हैं। एक हिल ट्राइब्स क्षेत्र है और दूसरा प्लेन ट्राइब्स क्षेत्र है।

हिल वाले को हिल में रिजर्वेशन मिलता है और प्लेन वाले को प्लेन में रिजर्वेशन मिलता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार को भी ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये लोग 100 प्रतिशत आरक्षण के तहत आएं। हमें किसी को भी इससे वंचित नहीं करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद।

श्री नव कुमार सरनीया: सर, मैं जाते-जाते सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे आदिवासी, एससी और पिछड़े लोग जो इलाहबाद सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वे लोग 100 दिनों से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। वहां की कुलपति को गलत तरीके से नियुक्त किया गया है। उन्होंने आते ही वहां की फीस को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। अगर फीस 20 हजार रुपये है तो वह आज 80 हजार रुपये हो गई है।

वहां पर स्टूडेंट्स ने कहा है कि अगर ऐसे चलेगा तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस विषय पर विचार करे। इनकी यूनियन को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सपोर्ट किया है तथा जेएनयू ने भी सपोर्ट किया है।

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Friday, December 16, 2022/Agrahayana 25, 1944 (Saka)

-

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* English translation of speech originally delivered in Punjabi.

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Not recorded

* Expunged as ordered by the Chair.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

* Not recorded as ordered by the Chair.

English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

* Not recorded.

* Further discussion on the motion for consideration of the Bill moved by Shri Arjun Munda on 09.12.2022

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* English translation of the speech originally delivered in Marathi.

* Not recorded

* Moved with the recommendation of the President